



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बबेरू पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय किया गया पेश ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.11.2024 को थाना बबेरू पुलिस द्वारा अ0सं0 251/2007 धारा 279/338/304A IPC व 182 MV ACT थाना बबेरू से सम्बन्धित 01 वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट बबेरू के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त-

1. रामसुमेर पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम बडनपुर थाना क्षेत्र राधानगर (पूर्व थाना गाजीपुर) जनपद फतेहपुर उम्र करीब 48 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 251/2007 धारा 279/338/304A 304A IPC व 182 MV ACT थाना बबेरू जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. देवीदीन गौतम
2. कां0 सुजान सिंह